



अस्थायी वीसा धारकों के लिए इमरजेंसी बेनिफिट (आपातकालीन भत्ता)

1 दिसंबर 2020

अगर आपके पास अस्थायी वीसा है, आप आर्थिक कठिनाई में हैं और COVID-19 के कारण घर नहीं लौट सकते, तो संभव है हम आपकी सहायता कर सकें। आपातकालीन भत्ता आपके रहन-सहन के बुनियादी खर्च में मदद कर सकता है, जबकि आप जितनी जल्दी हो सके घर वापिस जाने का इंतजाम करते हैं।

आपातकालीन भत्ता इसके पात्र अस्थायी वीसा धारकों के लिए 28 फरवरी 2021 तक उपलब्ध है।

अगर आपके पास स्पॉन्सर्ड (प्रायोजित) वीसा है, या आप न्यूजीलैंड में निवास करने का चुनाव करते हैं, तो आप आपातकालीन भत्ते के लिए पात्र नहीं हैं।

यह किसे मिल सकता है

आपको आपातकालीन भत्ता मिल सकता है अगर आप:

- निम्न में से एक हैं:
 - जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर वापिस जाने की योजना बना रहे हैं, या
 - COVID-19 की यात्रा पाबन्दियों के कारण घर वापिस नहीं जा सकते परन्तु फ्लाईट (उड़ान) के उपलब्ध होते ही ऐसा करेंगे
- आपके पास अस्थायी न्यूजीलैंड वीसा है जिसे स्पॉन्सर (प्रायोजित) नहीं किया गया है, जैसे कि, आगन्तुक वीसा, छात्र वीसा, काम करने का वीसा या अन्तरिम वीसा
- न्यूजीलैंड बैंक अकाउंट है
- आयकर विभाग (IRD) नम्बर (आपका भत्ता स्वीकृत हो जाने के बाद आप इसे प्राप्त कर सकते हैं)
- आपके पास पासपोर्ट है
- आप आर्थिक कठिनाई में हैं और (घर के लिए उड़ान की टिकट के पैसे के अलावा) सहारे का कोई और साधन नहीं है।

आपके लिए जरूरी है कि आप सहायता के अन्य साधनों की खोज करने के लिए कदम उठाएं, निम्न सहित:

- काम ढूंढना
- घर वापिस जाने के लिए सबसे पहली उपलब्ध उड़ान लेना
- अपने दूतावास, उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास से सहायता लेना
- बैंक में जमा पूंजी
- परिवार, दोस्तों, चर्च समूहों या शैक्षणिक संस्थानों (न्यूजीलैंड या विदेश) से सहायता लेना।

यह आपकी आमदनी और संपत्ति पर भी निर्भर होगा।

आपको क्या मिल सकता है

आपातकालीन भत्ते का भुगतान 28 फरवरी 2021 तक किया जायेगा, बशर्ते आप इसके पात्र बने रहते हैं। आपको कितनी राशि मिलेगी यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है।

आपकी परिस्थिति	आपको कितनी राशि मिल सकती है
अकेले, आयु 16-24 वर्ष	प्रति सप्ताह \$213.10
अकेले, आयु 25 से अधिक वर्ष	प्रति सप्ताह \$250.74
बच्चों समेत जीवन-साथी के साथ	प्रति सप्ताह \$428.06
अकेले माता या पिता	प्रति सप्ताह \$375.17

कैसे आवेदन करें

आपके लिए जरूरी है कि केस मैनेजर के साथ व्यक्तिगत रूप में मुलाकात के लिए आप वर्क एन्ड इनकम सेवा सेंटर में जाएं। आप फोन पर या ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। आपके लिए जरूरी होगा कि आप:

- एक आवेदन पत्र भरें
- अपने कागजात और वीसा का ब्यौरा दिखाएं
- अपने आवेदन के बारे में केस मैनेजर से बात करें।

आप (और आपके साथी, अगर हैं तो) को निम्न कागजात साथ लाने होंगे:

- वर्तमान पासपोर्ट
- एक अन्य प्रकार का पहचानपत्र, जैसे कि:
 - ड्राइवर लायसेंस
 - आपके नाम से फोन या बिजली का बिल
 - विवाह या जन्म सर्टिफिकेट
- आपके वर्तमान वीसा का सबूत
- न्यूजीलैंड बैंक अकाउंट के ब्यौरे समेत बैंक स्टेटमेंट
- इनलैंड रेवेन्यू नम्बर (अगर अभी आपके पास यह नहीं है, तो आप यह आपातकालीन भत्ते के आवेदन करने के 10 दिन के भीतर हमें दे सकते हैं)
- अगर आपके पास हों तो, आपकी देखभाल में निर्भर बच्चों के पासपोर्ट या जन्म सर्टिफिकेट।

आपके वीसा का सबूत: यह इमीग्रेशन न्यूजीलैंड का वर्तमान वीसा के ब्यौरे सहित वीसा अनुमोदन पत्र हो सकता है। अगर आपके पास वीसा के कागजात नहीं हैं, तो आप हमें इमीग्रेशन न्यूजीलैंड वीसा सत्यापन सेवा का प्रयोग करके अपने वीसा का ब्यौरा ऑनलाइन भेज सकते हैं। यह करने के लिए, Work and Income (वर्क एन्ड इनकम) में जाने से पहले आपका ऑनलाइन RealMe अकाउंट होना जरूरी है। आप इमीग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट: www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visa-verification-service/about के जरिए अपना RealMe अकाउंट खोल सकते हैं।

न्यूजीलैंड और विदेश में आपकी संपत्ति का सबूत:

आपको अपनी संपत्तियों के सबूत दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। आपके केस मैनेजर आपको इस बारे में जानकारी देंगे।

आगे क्या होता है

अगर आपकी अप्लीकेशन (आवेदन) स्वीकृत हो जाती है, तो हम आपातकालीन भत्ते को सीधा आपके न्यूजीलैंड बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क पता

Work and Income (वर्क एन्ड इनकम) की वेबसाइट www.workandincome.govt.nz/temporaryvisa पर जाएं।

अपने इलाके में समाज कल्याण मंत्रालय ऑफिस के Work and Income service (वर्क एन्ड इनकम सेवाएं) सेंटर में जाएं। अपने सबसे नजदीकी ऑफिस की खोज करें:

www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-centre